तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/3/25.	पत्रा. पेश। मोहनलाल (प्रार्थी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 RT Act के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी नं. 1 लालचंद को नारायण द्वारा गोद लिया गया था, अतः उसका अपने जन्मदाता किशना की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है तथा उसकी हिस्सेदारी जमाबंदी से विलोपित की जाए। प्रार्थी द्वारा adoption के समर्थन में कोई वैधानिक दस्तावेज़ या पंजीकृत दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है जिससे दत्तक ग्रहण का तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध हो सके। जब तक दत्तक ग्रहण विधिसम्मत रूप से सिद्ध न हो, तब तक संबंधित व्यक्ति को उसके ~~का~~ जन्मदाता परिवार से पृथक नहीं माना जा सकता। न ही वाद प्रथम दृष्टया और न ही balance of convenience वादी के पक्ष में है। अतः यह प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पक्षकार यदि चाहें तो अपने अधिकारों का निर्धारण हेतु	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे। निर्णय आज दिनांक 23/3/26 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.) Che 23/3/26 उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी